संख्या - 2/2015/2183/छप्पन-2014-18/2002

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 03 मार्च, 2015

विषय :जनपद मुरादाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विकास/विस्तार हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि नि:शुल्क रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 996/ए0एफ0/106-(बी)/2013, दिनांक 31-12-2013 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या- 12/छप्पन-2014-18/2002, दिनांक 04 मार्च, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार जनपद मुरादाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी को यथा-स्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित करने और उक्त हवाई पट्टी के विकास हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि नि:शुल्क एवं समस्त भारमुक्त रूप में भारत सरकार को उपलब्ध करायी जानी है। जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद हवाई पट्टी के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वांछित 340 एकड़ अतिरिक्त भूमि के सापेक्ष 304-80 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए उक्त भूमि के क्रय पर पूर्व में रूपये 83-00 करोड़ (रूपये तिरासी करोड़ मात्र) का अनुमानित व्यय बताया गया था, जिसके सापेक्ष रूपये 20-00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 04-3-2014 द्वारा दी जा चुकी है और अवशेष धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 50,00,00,000/- (रूपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय मुरादाबाद हवाई पट्टी के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 50,00,00,000/- (रूपये पचास करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि आहरित कर जिलाधिकारी, मुरादाबाद के निवर्तन पर रखी जायेगी और यथावश्यकता व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन/मद पर व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन/मद हेतु यह स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी भिन्न मदों/प्रयोजनों पर व्यय नहीं की जायेगी। स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार एवं सुसंगत नियमों के अधीन ही भुगतान की जायेगी।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रायोजना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि नियमानुसार ही क्रय की जायेगी तथा भू-स्वामियों की आपसी समझौते के अनुसार भुगतान कर तत्काल बैनामे की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- उक्त धनराशि का आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

6- भूमि क्रय हेतु की जा रही कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं भूमि क्रय की सम्पूर्ण कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ही सम्पन्न की जायेगी।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

एस0के0 रघुवंशी
सचिव।

पृ0सं0 : 2/2015/2183(1)/छप्पन-2014-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
5- अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मुरादाबाद।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-4
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।